25

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :—उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :—0004/2021

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनूं।

—बनाम—

नरेश कुमार पुत्र धर्मपाल, जाति नाई, उम्र 33 साल, निवासी भावठडी गोठडा, पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :—

1. सरकार की ओर से :—श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. गैर सायल की ओर से :— स्वयं उपस्थित

—निर्णय—

दिनांक 16.08.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 21.06.2021 को गैरसायल नरेश कुमार पुत्र धर्मपाल, जाति नाई, उम्र 33 साल, निवासी भावठडी गोठडा, पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनूं के खिलाफ इस्तगासा पेश किया है कि नरेश कुमार पुत्र धर्मपाल, जाति नाई, उम्र 33 साल, निवासी भावठडी, पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनूं का रहने वाला है जो एक आपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है तथा अव्वल दर्जे का आदतन जुआरी है जिसने अपनी आपराधिक गतिविधियों से ग्राम भावठडी व आसपास के क्षेत्र के लोगों को भयभीत व आंतकित कर रखा है तथा अपने जुआ के कारोबार मे युवा पीढी को धकेल रहा है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर इसकी गतिविधियों की सूचना देने व रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार होता है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरीत असर पड रहा है तथा इलाके मे लोगों के अमन चैन को ठेस पहुंच रही है। इसके खिलाफ अब तक 2 अभियोग दर्ज किये गये है इसके जिले की सीमाओं मे रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा तथा अपने कृत्यों को लगातार अन्जाम देगा। ऐसी स्थिति मे गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों को लगाम रखने के लिए जिला निष्कासन किया जाना आवश्यक है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

1. अभियोग संख्या 82/2018 दिनांक 17.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ थाना सूरजगढ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 49 दिनांक 24.04.2018 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.05.2018 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 43/2019 दिनांक 01.02.2019 धारा 13 आरपीजीओ थाना सूरजगढ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 18 दिनांक 08.02.2019 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार उक्त नरेश कुमार पुत्र धर्मपाल, जाति नाई, उम्र 33 साल, निवासी भावठडी गोठडा, पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनूं का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 16.08.2021 को गैरसालय ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर उक्त कृत्यों को स्वीकार किया तथा अधिवक्ता नियुक्त नहीं करना चाहा।

जिला मजिस्ट्रेट

(26)

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनूं में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं–

1. अभियोग संख्या 82/2018 दिनांक 17.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ थाना सूरजगढ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 49 दिनांक 24.04.2018 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.05.2018 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 43/2019 दिनांक 01.02.2019 धारा 13 आरपीजीओ थाना सूरजगढ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 18 दिनांक 08.02.2019 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी–1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनूं में अभियोग संख्या 82/2018 दिनांक 17.04.2018 धारा 13 आरपीजीओ, अभियोग संख्या 43/2019 दिनांक 01.02.2019 धारा 13 आरपीजीओ थाना सूरजगढ में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल नरेश कुमार को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत क्रमशः 100 रूपये एवं 100 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल नरेश कुमार राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 2 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैरसायल ने उपस्थित होकर अपना जुर्म लिखित मे स्वीकार किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (II) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः नरेश कुमार पुत्र धर्मपाल, जाति नाई, उम्र 33 साल, निवासी भावठडी गोठडा, पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनूं को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 15 दिन की अवधि के लिए झुंझुनूं जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त 15 दिन की अवधि में गैर सायल कोतवाली चूरू क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली चूरू इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनूं को देंगे तथा थानाधिकारी थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनूं गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा। यह निर्णय दिनांक 16.08.2021 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं
जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं
16/8/21